

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ.28( )पंरावि/प्रशा-2/ग्रासे/स्था.पद/2019/ 2257 जयपुर,दिनांक 4/7/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद-चूरु ।

विषय:- ग्राम सेवक (ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी करने बाबत ।


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समिति में कार्यरत निम्न ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) की संस्थापन संबंधी सूचनाओं का मिलान करते हुए स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी कर,पालना से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

क्र०स०	सर्व श्री / श्रीमति / सुश्री	कहाँ से (ग्राम.प./पं०स०)	कहाँ को(ग्राम पं./पं०स०)
1	गौरव कालेर	पं०स० रतनगढ (चूरु)	पं.ससुजानगढ (चूरु)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।


नोट:-

- 1.उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से किया जावे ।
- 2.यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय /अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 3.यदि किसी कार्मिक की परीवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 4.यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है तो उस कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावें ।

  
(गौरव चतुर्वेदी)  
संयुक्त सचिव एवं  
उपायुक्त(प्रशा.1)

प्रतिलिपि :निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-विशिष्ट सहायक,माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर ।
- 2-निजी सचिव,शासन सचिव एवं आयुक्त,पंचायती राज विभाग ।
- 3-ए.सी.पी. मुख्यालय को विभाग की बैबसाईट पर अपलोड कराये जाने बाबत ।
- 4-गार्ड फाईल ।

  
संयुक्त सचिव एवं  
उपायुक्त(प्रशा.1)

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ.28( )पंरावि/प्रशा-2/ग्रासे/स्था.पद/2019/ 2258 जयपुर,दिनांक 04/07/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद-अलवर ।

विषय:- ग्राम सेवक (ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समिति में कार्यरत निम्न ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) की संस्थापन संबंधी सूचनाओं का मिलान करते हुए स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी कर,पालना से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

क्र०स०	सर्व श्री / श्रीमति / सुश्री	कहाँ से (ग्राम.प./पं०स०)	कहाँ को(ग्राम पं./पं०स०)
1	मोहन लाल शर्मा	पं०स० थानागाजी (अलवर)	जिले की अन्य पं०स० में
2	गणपतलाल सैनी	पं०स० बानसूर(अलवर)	पं.स. थानागाजी(अलवर)
3	गोपाल मीणा	पं०स० किशनगढबास (अलवर)	पं.स.थानागाजी(अलवर)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

नोट:-

- उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से किया जावे ।
- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय /अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- यदि किसी कार्मिक की परीवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है तो उस कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावे ।



(गौरव चतुर्वेदी)  
संयुक्त सचिव एवं  
उपायुक्त(प्रशा.1)

प्रतिलिपि :निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-विशिष्ट सहायक,माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर ।
- 2-निजी सचिव,शासन सचिव एवं आयुक्त,पंचायती राज विभाग ।
- 3-ए.सी.पी. मुख्यालय को विभाग की बैबसाईट पर अपलोड कराये जाने बाबत ।
- 4-गार्ड फाईल ।



संयुक्त सचिव एवं  
उपायुक्त(प्रशा.1)

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ.28( )पंरावि/प्रशा-2/ग्रासे/स्था.पद/2019/ 2259 जयपुर,दिनांक 04/07/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद-झुन्झुनू ।

विषय:- ग्राम सेवक (ग्राम विकास अधिकारी) के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी करने बाबत ।


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समिति में कार्यरत निम्न ग्राम सेवक(ग्राम विकास अधिकारी) की संस्थापन संबंधी सूचनाओं का मिलान करते हुए स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी कर,पालना से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

क्र०स०	सर्व श्री / श्रीमति / सुश्री	कहाँ से (ग्राम.प./पं०स०)	कहाँ को(ग्राम पं./पं०स०)
1	राजकुमार	पं०स० खेतडी(झुन्झुनू)	पं.स. सूरजगढ(झुन्झुनू)
2	कृष्णा देवी	पं०स० सूरजगढ(झुन्झुनू)	पं.स. उदयपुरवाटी(झुन्झुनू)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।


नोट:-

- 1.उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से किया जावे ।
- 2.यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय /अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 3.यदि किसी कार्मिक की परीवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 4.यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है तो उस कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावें ।

  
(गौरव चतुर्वेदी)  
संयुक्त सचिव एवं  
उपायुक्त(प्रशा.1)

प्रतिलिपि :निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-विशिष्ट सहायक,माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय,राजस्थान,जयपुर ।
- 2-निजी सचिव,शासन सचिव एवं आयुक्त,पंचायती राज विभाग ।
- 3-ए.सी.पी. मुख्यालय को विभाग की बैबसाईट पर अपलोड कराये जाने बाबत ।
- 4-गार्ड फाईल ।

  
संयुक्त सचिव एवं  
उपायुक्त(प्रशा.1)